(Y2)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
## पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| मिसल नं. | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 82/2025 | 01/04/2025 | 23/06/2025 |

1. नारायण सहाय शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा
2. बृजबिहारी शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज0।

वादीगण

बनाम

अशोक पुत्र जयनारायण

विलोद पुत्र जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

**प्रतिवादीगण**

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील वादीगण

**दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा**

**अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट**

**–: निर्णय:–**

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की वादग्रस्त खातेदारी भूमि खाता सं0 151 जिसके खसरा नम्बर 204 रकबा 0.5817है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 4.4131है0 कुल किता 23 कुल रकबा 4.9948है0 ग्रामतन मानोता, पटवार हल्का मानोता, तहसील जवमारामगढ, जिला जयपुर राज में स्थित है। जो वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि हैं। जिसमें वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 5/144–5/144 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर वादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले रहे है। उक्त भूमि जो कि वादीगण को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुयी है तथा उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण का नाम नारायण पुत्र गोपाल व बृजबिहारी पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण दर्ज कर दिया जो कि गलत है। ग्राम मानोता तहसील जमवारामगए जिला जयपुर में पैतृक भूमि खाता सं0 151 में वादीगण का नाम नारायण पुत्र गोपाल व बृजबिहारी पुत्र गोपाल चल रहा है जोकि गलत है। जबकि वास्तविक में वादीगण का सही नाम बृजबिहारी शर्मा पुत्र रामगोपाल व नारायण सहाय शर्मा पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण है व समस दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार आदि में भी वादीगण का नाम नारायण पुत्र गोपाल व बृजबिहारी पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण है। जो कि नियमानुसार सही है। अतः उक्त वादांकित भूमि में दर्ज वादीगण का गलत नाम नारायण पुत्र गोपाल व बृजबिहारी पुत्र गोपाल के स्थान पर वादीगण का नाम बृजबिहारी शर्मा पुत्र रामगोपाल व नारायण सहाय शर्मा पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण घोषित किये जाने के आदेश किया जावें एवं तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक 23.05.25 को उपस्थित होकर जवाब दावा बाबत सहमति हेतु पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं0 3 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2025/6172 दिनांक 28.05.2025 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानोता के खाता सं0 151 के जिसके खसरा नम्बर 204 रकबा 0.5817है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 4.4131है0 कुल किता 23 कुल रकबा 4.9948है0 खातेदार नारायण पुत्र गोपाल, बृजबिहारी पुत्र गोपाल हि0 5/144–5/144 जाति ब्राहमण सा0देह वगै0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जबकि सभी पहचान दस्तावेजों

में वादीगणों का नाम नारायण सहाय शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा व बृजबिहारी शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा अंकित है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 सह खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वकील वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की बहस सुनी गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि वादांकित भूमि खसरा नम्बर 204, 221 कुल किता 2 कुल रकबा 4.9948है0 में दर्ज वादीगणों को गलत नाम नारायण, बृजबिहारी पुत्रान गोपाल जाति ब्राहमण के स्थान पर नारायण सहाय शर्मा, बृजबिहारी शर्मा पुत्रान रामगोपाल जाति ब्राहमण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना सही है। जिसके लिये हम सहमत है तथा हमें कोई अन्तराज नही है।

अतः वकील वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मानोता, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खाता सं0 151 के खसरा नम्बर 204, 221 किता 2 कुल रकबा 4.9948है0 भूमि के रिकार्ड में अंकित वादीगण का नाम नारायण, बृजबिहारी पुत्रान गोपाल के स्थान पर नारायण सहाय शर्मा, बृजबिहारी शर्मा पुत्रान गोपाल उर्फ रामगोपाल का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ